सिमी के पूर्व अध्यक्ष सैयद कासिम भी पुनर्विचार याचिका के पक्ष में

विवाद ▶ बेटा उमर खालिद जेएनयू देशद्रोह मामले में नामजद, दोनों खुफिया विभाग की निगरानी में

कासिम ने एआइएमपीएलबी के फैसले को मीडिया के सामने रखा था

नई दिल्ली, आइएएनएस : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआइएमपीएलबी) के सदस्य व प्रतिबंधित स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के पूर्व अध्यक्ष सैयद कासिम रसूल इलियास ने भी राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका की पैरोकारी की है। इनका बेटा उमर खालिद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में 2016 के देशद्रोह मामले में नामजद है। दोनों की भूमिका संदिग्ध होने के कारण फिलहाल पिता-पुत्र खुफिया एजेंसियों की निगरानी में हैं।

बाबरी मस्जिद समन्वय समिति में जमात-ए-इस्लामी हिंद के सदस्य 66 वर्षीय रसूल को एसक्यूआर नाम से भी जाना जाता है। वह ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरात के महासचिव भी हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ, जहां से इन्होंने सिमी से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और बाद में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2001 में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने पर सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध लगाया। सिमी पर 2017 में गया व 2014 में बेंगलुरु के चेन्नास्वामी स्टेडियम में आतंकी धमाके कराने के आरोप हैं। 2014 में भोपाल जेल तोड़ने की घटना में भी इस संगठन की भूमिका सामने आई।

कासिम रसूल बाद में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया में महासचिव और फिर अध्यक्ष बने। उन्होंने 2019 में पश्चिम बंगाल से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। मुस्लिम सियासत में इनकी बढ़ती हैसियत का ही मामला है कि एआइएमपीएलबी ने रविवार को प्रेस वार्ता में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका की जानकारी देने के लिए कासिम रसूल को ही आगे किया।

जेएनयू का पूर्व छात्र व उनका पुत्र उमर खालिद 2016 में उस समूह में शामिल था, जो आतंकी अफजल गुरु को फांसी देने के विरोध में प्रदर्शन कर रहा था। अफजल गुरु 2011 में संसद पर हुए हमले में मुख्य अभियुक्त था। खालिद जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के साथ देशद्रोह व आपराधिक साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार हुआ था। जिसके बाद जेएनयू प्रशासन ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की थी। समिति ने उमर समेत 21 छात्रों को विश्वविद्यालय के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया था। जिस पर खालिद के विश्वविद्यालय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

लखनऊ में गत रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक के बाद प्रेसवार्ता में जफरयाब जिलानी के साथ सिमी के पूर्व अध्यक्ष और पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास (बाएं)। फाइल

'जिस संगठन के सदस्य के तार आतंकी संगठन से, देश के मुसलमानों उससे कोई नाता नहीं'

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उप्र के अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ राज्यमंत्री मोहसिन रजा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल पर हमला बोला है। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस संगठन के सदस्य के तार सिमी जैसे आतंकी संगठन से जुड़े हैं, उससे देश के मुसलमानों का कोई नाता नहीं है।

अब यह देखना होगा कि कौन-कौन सी देश विरोधी ताकतें इस संस्था के बैनर तले देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। कहा कि देश विरोधी नारेबाजी करने वालों से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या लेना-देना है। एक आतंकी संगठन से रिश्ते के लिए इससे और अधिक प्रमाण की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कि बोर्ड यह बताए कि इस संस्था की फंडिंग कहां से हो रही है? आरोप लगाया कि रसूल प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी के सक्रिय सदस्य रहे हैं। साथ ही उनके पुत्र उमर खालिद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देशविरोधी नारेबाजी के आरोपित हैं।

राम मंदिर ट्रस्ट मुद्दे पर संघ-विहिप के शीर्ष नेताओं में मंथन

नागपुर, प्रेट्र : राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) और उसके अनुषांगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के शीर्ष नेताओं ने सोमवार को एक बैठक की। माना जा रहा है कि इसमें अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित किए जाने वाले ट्रस्ट के सदस्यों के नाम तय कर लिए गए।

सूत्रों ने बताया कि संघ मुख्यालय में सोमवार शाम हुई इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उपप्रमुख भैयाजी जोशी के अलावा विहिप के केंद्रीय पदाधिकारी मौजूद थे। इनमें विहिप अध्यक्ष विष्णु कोकजे, कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और महासचिव मिलिंद परांडे शामिल हैं। बैठक का एजेंडा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के परिप्रेक्ष्य में अयोध्या मंदिर ट्रस्ट के गठन पर मंथन का था और इसमें ट्रस्ट के सदस्यों के नामों को अंतिम रूप दे दिया गया। अब उन्हें सरकार को बता दिया जाएगा। बताते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी ट्रस्ट के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बैठक में सुप्रीम के कोर्ट फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल होने की स्थिति में संघ और विहिप की कार्ययोजना पर भी विमर्श किया गया।

बोर्ड के फैसले पर भी गौर करेगा सुन्नी वक्फ बोर्ड

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अपनी बैठक में अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्णय पर भी विचार करेगा। हालांकि, बोर्ड केवल अयोध्या में पांच एकड़ जमीन न लेने के फैसले को ही अपनी 26 नवंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में रखेगा। पुनर्विचार याचिका के मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने पुराने रुख पर कायम है। बोर्ड पहले ही घोषणा कर चुका है कि पुनर्विचार याचिका नहीं दायर की जाएगी।

ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानने से इन्कार कर दिया है। इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर पांच एकड़ भूमि न लेने का फैसला किया गया है। इस फैसले के बाद अब सभी की निगाहें सुन्नी वक्फ बोर्ड की 26 नवंबर को होने वाली बैठक पर लग गई हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारुकी ने कहा, 'मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दो निर्णय किए हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने व पांच एकड़ जमीन न लेने का फैसला है। पुनर्विचार याचिका पर हम पहले ही अपना रुख साफ कर चुके हैं कि दायर नहीं करेंगे। जहां तक बात पांच एकड़ जमीन न लेने की है तो यह निर्णय बोर्ड बैठक में सदस्यों के सामने रखा जाएगा। इसमें अन्य लोगों की भी राय मिली है, इसे भी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।' जुफर फारुकी ने कहा- बोर्ड बैठक में ही तय होगा कि पांच एकड़ भूमि ली जाए या न ली जाए।

मुस्लिम कारसेवक मंच ने निकाली बोर्ड की शव यात्रा

जासं, लखनऊ : अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात पर लखनऊ में सोमवार को मुस्लिम कारसेवक मंच ने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की शव यात्रा निकालकर विरोध दर्ज कराया। मुस्लिम कार सेवक मंच की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कुछ लोग देश में अमन और एकता नहीं चाहते। जब पूरा देश इस फैसले पर साथ है तो चंद लोग निजी स्वार्थ के चलते सामजिक सौहार्द को फिर से बिगाड़ना चाहते हैं।

स्वामी के श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर दौरे की घोषणा से बढ़ी सरगर्मी

जागरण संवाददाता, वाराणसी

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद से पूरे देश में शांति-व्यवस्था कायम होने के बावजूद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस सरगर्मी के बीच सोमवार सुबह भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के एक ट्वीट के वायरल होने के बाद खुफिया व सुरक्षा एजेंसियों में बेचैनी है। भाजपा नेता और राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी 23 नवंबर को अयोध्या जाएंगे। वहां से वह वाराणसी पहुंचेंगे। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सुबह ट्वीट किया कि वह 23 नवंबर को अयोध्या जाएंगे। अयोध्या के बाद वह वाराणसी का दौरा करेंगे और श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर का 'स्पाट इनवेस्टीगेशन' करेंगे। इसको लेकर इसके निहितार्थ निकाले जाने लगे हैं।

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में मौजूद उपासना स्थल को लेकर भी लंबे समय से आवाज उठती रही है। रामजन्मभूमि पर फैसला आने के बाद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के वाराणसी आने और 'स्पॉट इंवेस्टीगेशन' की बात लिखने से यहां सरगर्मी बढ़ गई है।

वायरल हो रही ज्ञानवापी मस्जिद की तस्वीर : सोशल मीडिया पर काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र स्थित ज्ञानवापी मस्जिद की तस्वीरें भी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल की जा रही हैं। रविवार रात एक ट्विटर हैंडलर जयेश ने सीएम योगी, यूपी पुलिस, वाराणसी पुलिस समेत अन्य को ज्ञानवापी मस्जिद की फोटो टैग करते हुए कब्जे को लेकर लिखा है। वाराणसी पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी क्राइम को विवेचना का निर्देश दिया है।

सुब्रमण्यम स्वामी। फाइल

आपत्तिजनक टिप्पणी पर केस

अयोध्या को लेकर आए फैसले के बाद सोशल मीडिया पर धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में एसएसपी प्रभाकर चौधरी के आदेश पर शिवपुर में प्रवीण दीक्षित के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। शिवपुर थाना प्रमुख नागेश सिंह ने बताया कि विश्वनाथपुरी कालोनी निवासी प्रवीण के खिलाफ आइटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

हर समय अपना रुख बदलता रहा पर्सनल लॉ बोर्ड

शोभित श्रीवास्तव, लखनऊ

ये चंद उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या मसले पर पल-पल अपना रंग बदला। बोर्ड के नेता सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने से पहले कहते थे, ...जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा उसे मानेंगे। नौ नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो यू टर्न ले गए।

हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एक धड़ा ऐसा भी है जिसने अपने सुर नहीं बदले। लखनऊ ऐशबाग ईदगाह के इमाम व बोर्ड के सदस्य खालिद रशीद फरंगी महली ने फैसले से पहले कहा, 'कोर्ट से जो भी फैसला आए, समाज में अमन चैन बना रहे।' फैसला आने के बाद भी फरंगी महली अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, 'मुसलमानों की ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की जानी चाहिए। पूरे मुल्क में अमन-चैन इस बात का सुबूत है कि अवाम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं चाहती। मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई है तो उसे ही तय करने दीजिए।'

वरिष्ठ शिया धर्मगुरु व ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक ने कहा था 'फैसला आने से पहले अयोध्या की विवादित जमीन हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए।' फैसला आने के बाद भी अपने रुख पर कायम रहे। उन्होंने कहा, 'अयोध्या काबा नहीं है बल्कि वह हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण पवित्र धार्मिक स्थल है। इसलिए अयोध्या के बजाय मुसलमान कहीं और मस्जिद बनाएं।'

फैसले के पहले : 17 अक्टूबर 2019

- अयोध्या विवाद पर किसी भी तरह की मध्यस्थता का अब कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसे मानेंगे।' **-जफरयाब जिलानी, सचिव, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड**
- बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, उसे मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था का बेहद सम्मान करते हैं। जो फैसला आएगा उसका भी सम्मान करेंगे।' **-मौलाना अरशद मदनी, अध्यक्ष, जमीयत-उलेमा-ए-हिंद**
- 'यह एक भूमि विवाद है, हमने कोर्ट में पर्याप्त साक्ष्य पेश किए हैं। कोर्ट का जो भी फैसला होगा, हम उसका सम्मान करेंगे।' **-सैयद अतहर अली, सदस्य, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड**

फैसले के बाद : नौ नवंबर 2019

- 'हम फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन, संतुष्ट नहीं हैं। फैसले में कई विरोधाभास हैं, इसलिए हम पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे।'

17 नवंबर 2019

- 'हमें अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नही है। हम पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। मस्जिद की जमीन के बदले मुसलमान कोई अन्य जमीन कुबूल नहीं कर सकते हैं।' **-जफरयाब जिलानी, सचिव, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड**
- 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ से परे है। हमारी पुनर्विचार याचिका 100 फीसद खारिज हो जाएगी, इसके बावजूद हम याचिका दाखिल करेंगे। यह हमारा हक है। अगर मस्जिद न तोड़ी गई होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने के लिए कहता?' **-मौलाना अरशद मदनी, अध्यक्ष, जमीयत-उलेमा-ए-हिंद**

इन्होंने भी नहीं बदला रुख

सुन्नी वक्फ बोर्ड के अलावा मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी व हाजी महबूब ऐसे हैं जिन्होंने अपना पक्ष नहीं बदला और आज भी अपने रुख पर कायम हैं। दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने भी कहा '...बेशक फैसला मुसलमानों के हक में नहीं आया है, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, और सबकी यह सहमति थी कि फैसले को माना जाएगा।'

पहल : ये है गांव की सरकार पराली जलाई तो होगी सजा

ज्ञानेन्द्र सिंह, प्रयागराज

प्रदूषण के लिए खतरा बने पुआल (पराली) को प्रयागराज जिले की 90 ग्राम पंचायतों ने खेतों में जलाना प्रतिबंधित कर दिया है। ग्राम पंचायत की बैठक में यह प्रस्ताव पारित कर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत की विशेष समिति इस पर निगरानी करेगी और जो भी खेतों में पराली जलाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कोरांव इलाके के नेवादा ग्राम पंचायत ने पिछले हफ्ते इस ओर कदम उठाया तो अन्य ब्लॉकों की भी कई ग्राम पंचायतों ने भी खेत में पुआल जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। नेवादा के विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदूषण को देखते हुए गांव के युवाओं ने प्रधान बिहारीलाल से बात की और उसी दिन ग्राम पंचायत की खुली बैठक बुलाकर उसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय ले लिया गया। तय किया गया कि पहली बार खेत में पुआल जलाने पर चेतावनी दी जाएगी और इससे होने वाले प्रदूषण व खतरे के बारे में बताया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर दो से पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। यदि तीसरी बार पकड़े गए तो पंचायत से संचालित योजनाओं व सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है।

खास बातें

- 90 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव पारित कर पराली जलाने पर लगाया प्रतिबंध
- 05 सदस्यीय कमेटी करेगी निगरानी, पकड़े जाने पर लगाया जाएगा जुर्माना
- 02 माह पहले पॉलीथिन के प्रयोग को भी इसी तरह किया गया था प्रतिबंधित

कमोवेश, यही रुख जिले की 89 अन्य ग्राम पंचायतों ने भी अख्तियार किया है। एक सप्ताह के अंदर जिले की 90 ग्राम पंचायतों ने पुआल जलाने पर प्रतिबंध लगाते हुए इसकी सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को भेज दी। इसके पहले भी जिले की लगभग ढाई सौ ग्राम पंचायतों ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था, जिनमें ये 90 ग्राम पंचायतें भी शामिल थीं। पुआल जलाने वाली ज्यादातर ग्राम पंचायतें यमुनापार इलाके की हैं। कोरांव, मेजा, कौंधियारा, जसरा व चाका के ज्यादा गांव हैं। सैदाबाद, प्रतापपुर, कौड़िहार, बहादुरपुर व बहरिया के भी कई गांव हैं जहां ग्राम पंचायतों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसा ही कड़ा फैसला लिया है।

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में माकपा को नहीं दिख रहा न्याय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ पोलित ब्यूरो के प्रस्ताव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खड़े किए सवाल

▶ कहा- अयोध्या विवाद पर कोर्ट का फैसला आया है, न्याय नहीं हुआ

राष्ट्रीय राजनीति में हाशिये पर पहुंच चुकी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) को अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में न्याय नहीं दिख रहा है। पार्टी की पोलित ब्यूरो की दो दिवसीय बैठक में जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसमें शीर्ष अदालत के 'फैसले' पर ही सवाल खड़ा कर दिया गया है। पोलित ब्यूरो का कहना है 'अयोध्या विवाद पर कोर्ट का फैसला आया है, न्याय नहीं हुआ।'

प्रमुख वामपंथी दल माकपा की पोलित ब्यूरो ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए हमेशा आपसी समझौते की पक्षधर रही है। लेकिन समझौता न हो सके तो अदालत के फैसले से मामले को सुलझाया जाए। पार्टी पोलित ब्यूरो के ताजा रुख से और भ्रम फैलता है। अदालत की अस्मिता और कानूनी समाधान पर लगाया जा रहा प्रश्नचिह्न माकपा को खुद कठघरे में खड़ा करता है। शीर्ष अदालत के फैसले में पार्टी को 'न्याय' नहीं दिख रहा है। पार्टी न्याय किसे मानेगी, इसे नहीं बताया गया है।

दरअसल, देश में चल रही राजनीतिक हवा को भांपने में विफल रहे वामपंथी दलों को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। केंद्र से लेकर राज्यों तक में उनके राजनीतिक तंबू-कनात एक-एक कर उखड़ते चले गए और अब वे केरल तक सिमट कर रह गए हैं। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चौतरफा सराहा गया, लेकिन वामपंथी दलों ने इसे आधे अधूरे मन से स्वीकार किया है।

पोलित ब्यूरो की बैठक में अयोध्या के अलावा अन्य कई मुद्दों पर भी प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिनमें देश में चल रही आर्थिक मंदी प्रमुख है। घटती आर्थिक विकास दर पर चिंता जताते हुए सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए गए हैं। उसका कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही आर्थिक विकास दर में कमी आई है। अगर सरकार अब भी नीतियों में बदलाव नहीं करती है तो आने वाले समय में इसमें और कमी आएगी।

'सबरीमाला पर जल्द से जल्द रुख स्पष्ट करे सुप्रीम कोर्ट'

नई दिल्ली, एएनआइ : सबरीमाला मामले पर माकपा ने कहा है कि पुनर्विचार याचिकाओं को लंबित रखकर सुप्रीम कोर्ट ने हालात को अस्पष्ट और अनिश्चित बना दिया है। केरल में माकपा के नेतृत्व में ही लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) की सरकार है। माकपा का कहना है कि पार्टी के तौर पर वह सभी क्षेत्रों में महिलाओं की समानता के लिए प्रतिबद्ध है और सुप्रीम कोर्ट को सबरीमाला मंदिर मुद्दे पर जल्द से जल्द अपना रुख साफ करना चाहिए।

उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने...

जागरण संवाददाता, अयोध्या

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पुनर्विचार याचिका दायर करने की मुहिम को आम मुस्लिम नागरिक सिरे से खारिज कर रहा है। वे फैसले से संतुष्ट और विवाद का अब खात्मा चाहते हैं। आम मुस्लिम पुनर्विचार याचिका को महज सियासत मानते हैं। उनका कहना है कि अब बात केवल विकास की होनी चाहिए। मंदिर-मस्जिद के नाम पर आपस में वैमनस्यता बर्दाश्त नहीं है। उनका मत है कि फैसला आने से पहले पुलिस प्रशासन व सामाजिक संगठनों की तरफ से सद्भाव के लिए की गई मेहनत पर पुनर्विचार याचिका पानी डालने का काम करेगी। सभी ने कुछ यूं बयां किया अपनी भावनाओं को, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मुहब्बत है जहां तक पहुंचे...।

- मुस्लिम समुदाय की तरफ से कहा जाता रहा है कि जो फैसला आएगा, उसे मानेंगे। अब फैसले को मानना चाहिए। मुसलमानों को पुनर्विचार याचिका से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बाबरी मस्जिद की सियासत करने वालों की जरूर चांदी होगी। **- नैयर मियां, सज्जादानशीन दरगाह रुदौली**
- जो फैसला आ गया, वह सबको मान्य है। देश में अमन शांति व कौमी एकता बनी रहनी चाहिए। एक लाख 24 हजार पैगंबर में भगवान राम और कृष्ण भी हैं। **-चौधरी अजीमुद्दीन, पूर्व बार अध्यक्ष**

- रिव्यू पिटीशन से सद्भाव बिगड़ेगा। रात-दिन जिन लोगों ने सद्भाव के लिए प्रयास किया, उनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। रिव्यू पिटिशन के पक्ष में आम मुसलमान नहीं है। **- डॉ. निहाल रजा, समाजसेवी**
- उसी बेंच में रिव्यू पिटिशन का कोई मतलब नहीं। मुस्लिमों को कोई फायदा नहीं होगा। फैसला आने से पहले सबने मानने की बात कही। अब उस वचन का क्या होगा। **-आरिफ महमूद, चिंतक व लेखक**

उत्तर प्रदेश में भविष्य निधि के लिए बिजलीकर्मियों ने ठप किया कामकाज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

घोटाले में फंसी भविष्य निधि की रकम के भुगतान की गारंटी देने और घोटाले के दोषी उप्र पावर कारपोरेशन के पूर्व चेयरमैन सहित अन्य आइएएस अधिकारियों को गिरफ्तार करने की मांग पर बिजलीकर्मियों ने सोमवार को प्रदेशभर में कामकाज ठप कर दिया। सुबह आठ बजे से उन्होंने 48 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू किया, जिसमें वे दफ्तर तो पहुंचे, लेकिन कोई काम नहीं किया। हालांकि पावर ऑफीसर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने खुद को कार्य बहिष्कार से अलग रखते हुए सामान्य कामकाज किया।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने सभी ऊर्जा निगमों में करीब 45 हजार कार्मिकों के कार्य बहिष्कार में शामिल होने का दावा किया है। सोमवार को लखनऊ में शक्ति भवन सहित प्रदेश के सभी परियोजना व जिला मुख्यालयों पर जुटे बिजलीकर्मियों ने संघर्ष की हुंकार भरी और कार्य बहिष्कार के दौरान मांगें पूरी न होने पर 20 नवंबर को आंदोलन के अगले चरण का निर्णय लिया जाएगा। समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि पाली कर्मचारियों को अभी कार्य बहिष्कार से अलग रखा गया है, लेकिन मांगें पूरी न हुईं तो ये कर्मचारी भी आंदोलन से जुड़ जाएंगे। समिति ने कहा कि राज्य सरकार को गजट नोटिफिकेशन जारी करने से रोकने में सबसे बड़ी भूमिका ऊर्जा विभाग के नौकरशाहों की है, जो सरकार को गुमराह कर रहे हैं। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि वे तत्काल भुगतान की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि भुगतान की गारंटी की मांग कर रहे हैं, जिससे बिजली कर्मचारी निश्चिंत होकर काम कर सकें।

लखनऊ में सोमवार को शक्ति भवन के परिसर में प्रदर्शन करते विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्य। जागरण

ईओडब्ल्यू ने तीन कर्मचारियों को बनाया सरकारी गवाह

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

बिजलीकर्मियों के भविष्य निधि घोटाले में पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों ने भी कई अहम राज उगले हैं। प्रकरण की जांच तेजी से बढ़ा रही आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्ल्यू) पावर कारपोरेशन के तीन कर्मचारियों से पूछताछ के बाद उन्हें सरकारी गवाह बना लिया है। सूत्रों का कहना है कि ईओडब्ल्यू ने तीनों कर्मचारियों के कोर्ट में कलमबंद बयान दर्ज कराए हैं। इसके अलावा सोमवार को ब्रोकर फर्म एसएमसी के दो अधिकारियों से लंबी पूछताछ की गई। ईओडब्ल्यू ने शुरुआती जानकारियां जुटाने के बाद दोनों को छोड़ दिया। जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। फर्जी ब्रोकर फर्मों के तीन अधिकारियों को पूछताछ के लिए मंगलवार को तलब किया गया है।

ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किए गए आरोपित तत्कालीन निदेशक (वित्त) सुधांशु द्विवेदी, सचिव ट्रस्ट पीके गुप्ता व एमडी एपी मिश्र से पूछताछ के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर दस्तावेज की पड़ताल की है। इसी कड़ी में लेखा विभाग के कई कर्मचारियों से पूछताछ की गई। सूत्रों का कहना है कि ईओडब्ल्यू ने पावर कारपोरेशन के तीन कर्मचारियों को गवाह बनाया है। कर्मचारियों से पूछताछ में सामने आया कि बैठकों से जुड़ी नोटशीट में हेराफेरी कराई जाती थी। इस काम में सचिव ट्रस्ट पीके गुप्ता का दबाव रहता था। नोटशीट फाड़कर दूसरी नोटशीट तैयार किये जाने की बात भी सामने आई है।

उल्लेखनीय है कि ईओडब्ल्यू ने 14 फर्जी ब्रोकर फर्मों को चिह्नित किया था, जिनमें शामिल एक फर्जी ब्रोकर फर्म के संचालक आशीष चौधरी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सोमवार को ब्रोकर फर्म एसएमसी के दो अधिकारियों ने पीएनबी हाउसिंग व निजी कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) में कराए गए निवेश के बारे में सिलसिलेवार पूछताछ की गई। इस फर्म के जरिये दिसंबर 2016 में आरोपित एपी मिश्र ने भविष्य निधि की रकम का निवेश पीएनबी हाउसिंग में कराया था। बाद में इस फर्म के जरिये डीएचएफएल में भी निवेश कराया गया।

अब तक पांच हुए गिरफ्तार

भविष्य निधि घोटाले में मामले में अब तक पांच आरोपितों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इनमें सुधांशु द्विवेदी, एपी मिश्र, पीके गुप्ता, पीके गुप्ता का बेटा अभिनव व फर्जी फर्म संचालक आशीष चौधरी शामिल हैं। ध्यान रहे, 4122.70 करोड़ के भविष्य निधि घोटाले में हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराई गई एफआइआर की विवेचना शासन ने ईओडब्ल्यू को सौंपी है।

नागरिकता संशोधन बिल एनआरसी जैसा जाल : ममता

जेएनएन, कूचबिहार : 'नागरिकता संशोधन विधेयक बिल 2019 राष्ट्रीय नागरिकता पंजीयन (एनआरसी) की तरह एक जाल है, जो वैध नागरिकों को शरणार्थी करार कर देगा। इसलिए इसका पुरजोर विरोध करें। भाजपा इसे शीतकालीन सत्र में जबरिया पारित कराने के फेर में है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।' यह कहना है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। सोमवार को वह कूचबिहार स्थित नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहीं थीं। कहा, इस बिल के पारित होने से बंगाली व हिंदू इस देश की नागरिकता सूची से बाहर कर दिए जायेंगे। केंद्र सरकार इसे पारित करने पर आमादा है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस बिल के पास होने से बांग्लादेश, अफगानिस्तान व पाकिस्तान के ऐसे अल्पसंख्यकों को भारत में रहने की सुविधा मिल जाएगी तथा बिल पारित होने के बाद से सात साल यहां रहने के बाद उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने एयर इंडिया को बेचने पर भी आपत्ति जताई।